



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [innovation.cceraj@gmail.com](mailto:innovation.cceraj@gmail.com) Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/AAP/2020-21/343;

दिनांक : 17 February 2021

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय : Annual Auditing Programme (AAP) कार्यक्रमान्तर्गत महाविद्यालय की सूचना प्रेषण बाबत।

सन्दर्भ : आदेश क्रमांक CCE/ISDC/AAP/2020-21/281; दिनांक : 03 February 2021 के क्रम में।

लेख है कि उपरोक्त आदेश के जरिये सभी महाविद्यालयों को संलग्न Excel फॉर्मेट में महाविद्यालय की सूचनाएं भरकर ई-मेल के जरिये एवं हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी प्रेषित करने के लिये निर्देशित किया गया था। इसका अभिप्राय यही था सॉफ्ट कॉपी में Excel फॉर्मेट में तथा हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को महाविद्यालयों द्वारा प्रेषित किया जायेगा। परन्तु कई महाविद्यालयों में इस सूचना को PDF फॉर्मेट में प्रेषित किया है। साथ ही कुछ महाविद्यालयों में आदेश में दिये गये निर्देशों पर गौर नहीं करते हुए महाविद्यालय की सभी सूचनाओं को शून्य दर्शाया है। यह अति गम्भीर विषय है। अतः इस आदेश के जरिये पुनः निर्देशित किया जाता है कि -

1. यह अंकेक्षण वर्ष 2020-21 के लिये किया जा रहा है, अतः इसे समस्त राजकीय महाविद्यालयों को भरना है। जिन 34 राजकीय महाविद्यालयों का विगत सत्र में अंकेक्षण कार्य हो चुका है, उन्हें भी इसे भरना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालयों से संबंधित वे सूचनाएं जो वर्ष 2020-21 में उपलब्ध हैं, यथा प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या, बजट राशि, संकाय सदस्यों के अकादमिक उन्नयन आदि से संबंधित सूचनाएं; उन्हें इस वर्ष 2020-21 के परिप्रेक्ष्य में ही भरें। जबकि जो सूचनाएं वर्ष 2020-21 के लिये शून्य हैं, उन्हें सत्र 2019-20 के समान ही भर दिया जावे। ऐसी सूचनाएं विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में भी हो सकती हैं जो इस सत्र में कोरोना के कारण संचालित ही नहीं किये गये। जैसे कि निःशुल्क पुस्तक वितरण, इन्दिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उडान कार्यक्रम, IDEA, प्रोग्राम, संवाद संगम कार्यक्रम, सामुदायिक पुस्तक शाला आदि अन्य सूचनाएं। अतः सत्र 2019-20 की सूचना को इस वर्तमान सत्र के समकक्ष मान लिया जायेगा और यही सूचना अंकेक्षण हेतु मान्य होगी।
3. कोई सूचना यदि सत्र 2019-20 में शून्य है तो ही शून्य भरें, अन्यथा निर्दिष्ट खानों में वांछित सही सूचना ही भरें।
4. पुनः निर्देशित है कि महाविद्यालयों द्वारा सभी सूचनाओं को शून्य भरकर भेजा जाना निर्देशों के प्रति गम्भीरता की कमी है। अतः ऐसे महाविद्यालय अपनी सूचनाएं पुनः भरकर भिजवायें। ऐसे सभी प्रकरणों को आयुक्तालय स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा।
5. इस प्रकार पूर्ण भरे हुए Excel फॉर्मेट को सॉफ्ट कॉपी में इस कार्यक्रम की ई-मेल [aap.cceraj@gmail.com](mailto:aap.cceraj@gmail.com) पर आवश्यक रूप से दिनांक 22 फरवरी 2021 तक भिजवायें।
6. इन सूचनाओं के भौतिक सत्यापन का कार्य, जो कि फरवरी 2021 के अन्तिम सप्ताह में आरम्भ होना था, अब मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में आरम्भ होगा, जिसकी पूर्व सूचना प्रेषित करवा दी जायेगी। अतः सूचनाओं का सम्प्रेषण

सावधानी पूर्वक करवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि वास्तविक-तार्किक अंकेक्षण कार्य का भौतिक सत्यापन करवाया जा सके।

7. भौतिक सत्यापन हेतु भिजवाये जाने वाले दलों की पूर्व सूचना आपको भेज दी जायेगी।
8. सभी महाविद्यालय अपनी हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को अपने संबंधित जिले के DRAC अध्यक्ष महाविद्यालय को प्रेषित करेंगे। DRAC अध्यक्ष महाविद्यालयों को यह दायित्व दिया जाता है कि वे अपने जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों के भरे हुए AAP excel फॉर्मेट्स को एकत्रित भी करेंगे तथा अपूर्ण होने की स्थिति में इसे पूर्ण करने हेतु संबंधित महाविद्यालयों को निर्दिष्ट भी करेंगे।
9. DRAC अध्यक्ष महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण भरे हुए हार्ड कॉपी AAP excel फॉर्मेट्स ही भिजवाये जायेंगे। ये AAP excel फॉर्मेट्स DRAC अध्यक्ष महाविद्यालयों द्वारा एक पैकेट में रखकर एक साथ भिजवाये जायें। इन्हें आवश्यक रूप से दिनांक 28 फरवरी 2021 तक आयुक्तालय जयपुर में डाक अथवा व्यक्तिशः पहुंचवाया जाना सुनिश्चित करें।

संदेश नायक, IAS  
आयुक्त

पत्रांक: CCE/ISDC/Gyan Ganga/2020-21/343; दिनांक: 17 February 2021

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
4. संबंधित प्रभारी अधिकारीगण, आकाशि को अपने संबंधित महाविद्यालयों के साथ समन्वय करने हेतु।
5. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

डा. विनोद कुमार भारद्वाज  
प्रभारी अधिकारी,  
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ